

पत्र संख्या-विधि-1-(3)-पत्थर, पटिया समा०यो०-6-(2007-2008) 1816/10/1090/ वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(विधि अनुभाग)

दिनांक:: लखनऊ:: ~~जनवरी~~ 3, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्य पालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिशनर /असिस्टेन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

**विषय:- 30प्र० उपखनिज परिहार नियमावली -1963 के तहत प्रदेश में खनन पट्टे के आवेदकों को
अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 1637/ग्यारह-2-2010-9-(242)/2010 दिनांक 7-12-2010 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3923(1)/86-2010-53 (डब्लू)/2010 दिनांक 2-11-2010 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3923(1)/86-2010-53 (डब्लू)/2010 दिनांक 2-11-2010 द्वारा मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या- 9631(एम०/बी०)/ 2009 मेसर्स जयशंकर इन्टरप्राइजेज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-11-2009 को दृष्टिगत रखते हुये निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :-

” उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (उन्तीसवें संशोधन दिनांक 15-2-2007) के नियम-6(1) (छः) निम्नवत् है :-

(छः) यदि आवेदित क्षेत्र की, यथास्थिति, वार्षिक पट्टा धनराशि अथवा अपरिहार्य भाटक रुपया दो लाख अथवा उससे अधिक हो तो प्रार्थी निम्नलिखित प्राधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा :-

- (1) आयकर विभाग के प्राधिकृत अधिकारी,
- (2) व्यापार कर विभाग का प्राधिकृत अधिकारी,
- (3) उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ प्रार्थी स्थायी रुप से निवास करता हो।
- (4) उस जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, जहाँ प्रार्थी स्थायी रुप से निवास करता हो।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2 लाख अथवा उससे अधिक वार्षिक पट्टा धनराशि अथवा अपरिहार्य भाटक वाले क्षेत्रों के आवेदकों को नियमावली, 1963 के नियम 6(1) (छः) में वर्णित प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता है, किन्तु यह देखा गया है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है। फलस्वरूप एक ओर जहाँ जन सामान्य (आवेदक) को असुविधा होती है वहीं दूसरी ओर शासकीय खनन पट्टा स्वीकृत की कार्यवाही में विलम्ब होने से शासकीय राजस्व की क्षति होती है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 30प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (29वें संशोधन दिनांक 15-2-2007) के नियम-6 (1) (छः) में अपेक्षित प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभागों /

कार्यालयों द्वारा आवेदन की तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर या तो निर्गत कर दिये जाये अथवा अवगत करा दिया जाये कि दिया जाना सम्भव नहीं है । ”

3- कृपया शासन के उक्त निर्देश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें । शासन के इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये इसकी प्रतियां अधिवक्ता/संघों एवं व्यापारिक संगठनों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(चन्द्रभानु)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्र0प्र0सं0 एवं दिनोंक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0
- (5) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान , विक्रमादित्य मार्ग , लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, ईसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (15) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद ।
- (16) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी 0 कमि0 / असि0 कमि0 (30न्या0कार्य0) लखनऊ / इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में ।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आचार्य नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स , 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0) के माध्यम से ।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (33) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0 कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।

- (35) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (36) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा० छेदी लाल साधी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ कुँजगली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
- (41) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ) ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल कैम्प कार्या० इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट, हाथरस
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसिएशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(पदम कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,